Dr. Shyama Prasad Mukherjee University

DEPT. OF COMMERCE

B.COM SEM – 2

PAPER: Corporate Law

TOPIC: UNIT 2 Part -1 Memorandum of Association/ पार्षद सिमानियम

By: Harsha

Memorandum Of Association/ पार्षद सिमानियम:

The Memorandum of Association or MOA of a company defines the constitution and the scope of powers of the company. In simple words, the MOA is the foundation on which the company is built. In this article, we will look at the laws and regulations that govern the MOA. Also, we will understand the contents of the Memorandum of Association of a company.

किसी कंपनी का पार्षद सिमानियमया एमओए कंपनी के संविधान और शक्तियों के दायरे को परिभाषित करता है । सरल शब्दों में, एमओए वह नींव है जिस पर कंपनी बनी है। इस लेख में, हम उन कानूनों और विनियमों को देखेंगे जो एमओए को नियंत्रित करते हैं। साथ ही, हम एक कंपनी के पार्षद सिमानियम की सामग्री को समझेंगे।

Object of registering a Memorandum of Association or MOA:

- The MOA of a company contains the object for which the company is formed. It identifies the scope of its operations and determines the boundaries it cannot cross.
- It is a public document according to Section 399 of the Companies Act, 2013. Hence, any person who enters into a contract with the company is expected to have knowledge of the MOA.
- It contains details about the powers and rights of the company.

पार्षद सिमानियमया एमओए पंजीकृत करने का उद्देश्य

- किसी कंपनी के एमओए में वह वस्तु होती है जिसके लिए कंपनी बनाई गई है। यह अपने संचालन के दायरे की पहचान करता है और उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिन्हें वह पार नहीं कर सकता।
- यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 399 के अनुसार एक सार्वजनिक दस्तावेज है । इसलिए, कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के साथ अनुबंध करता है, उससे एमओए की जानकारी होने की उम्मीद की जाती है।
- इसमें कंपनी की शक्तियों और अधिकारों के बारे में विवरण होता है ।

According to Section 2(56) of Companies Act, Memorandum means “Memorandum of Association as originally framed or as altered from time to time in pursue of any previous companies’ law or of this Act”.

कंपनी अधिनियम की धारा 2(56) के अनुसार, मेमोरेंडम का अर्थ है "पार्षद सिमानियम जैसा कि मूल रूप से बनाया गया है या किसी भी पिछले कंपनी कानून या इस अधिनियम के अनुसरण में समय-समय पर बदल दिया गया है"। पार्षद सिमानियममें निहित कोई भी प्रावधान उस सीमा तक शून्य होगा, जहां तक वे कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल हैं।

According to Palmer, the Memorandum of Association contains the objects for which the company is formed, and therefore identifies the possible scope of its operations beyond which its actions cannot go. It defines as well as confines the power of the company. If anything is done beyond these powers that will be ultra vires the company and therefore void.

पामर के अनुसार, पार्षद सिमानियममें वे वस्तुएं शामिल हैं जिनके लिए कंपनी बनाई गई है, और इसलिए इसके संचालन के संभावित दायरे की पहचान करता है जिसके आगे इसके कार्य नहीं जा सकते। यह परिभाषित करता है और साथ ही कंपनी की शक्ति को सीमित करता है। कुछ भी इन शक्तियों से परे किया जाता है कि हो जाएगा अधिकातीत कंपनी है और इसलिए शून्य।

Clauses of Memorandum of Association [Sec. 4]/ पार्षद सिमानियम

- Name Clause/ नाम खंड
- Situation Clause/ स्थिति खंड
- Objects Clause/ वस्तु खंड
- Liability Clause/ दायित्व खंड
- Capital Clause/ पूंजी खंड
- Association Clause or Subscription Clause/ एसोसिएशन क्लॉज या सब्सक्रिप्शन क्लॉज

Name Clause

A company being a distinct legal entity must have a name of its own in order to establish its separate identity. The general rule is that a company can be registered with any name it likes subject to the following restrictions:

- The last words of the name must end with the words 'limited' or 'private limited' as the case may me. It is not necessary that the word 'company' should form part of the name.
- As per Section 4(2) no company can be registered with a name, which in the opinion of the Central Government is undesirable. If a name is identical with, or closely resembles the name of an existing company, it may be deemed to be undesirable by Central Government.
- The name adopted by the company should not violate the provisions of the Emblems and Name Act, 1950.
- The name should not connote Government participation or patronage unless circumstances justify the usage of such words. It should not include the word co-operative, bank, banking, insurance, investment unless the circumstances justify.

Requirements:

As per Section 12(3) every company should

- Paint or affix its name, outside its registered office, and outside every place where it carries on business, in a conspicuous position, in legible letters and in the language in general use in the locality;
- Have its name engraved in legible characters on its seal;
- Get its name, address of its registered office and corporate identity number along with telephone number, fax number, if any, e-mail and website addresses, printed in all its business letters, letter papers, billheads and in all its notices and other official publications; have its name printed on hundies, promissory notes, bills of exchange.

Default

If there is any default in compliance it will lead to a fine of Rs. 1000 per day on the company and every officer of the company who is in default till the default continue but not exceeding one lakh rupees.

नाम खंड

एक अलग कानूनी इकाई होने के नाते एक कंपनी को अपनी अलग पहचान स्थापित करने के लिए अपना एक नाम होना चाहिए। सामान्य नियम यह है कि एक कंपनी को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन किसी भी नाम से पंजीकृत किया जा सकता है:

- नाम के अंतिम शब्द 'लिमिटेड' या 'प्राइवेट लिमिटेड' शब्दों के साथ समाप्त होने चाहिए जैसा भी मामला हो। यह जरूरी नहीं है कि 'कंपनी' शब्द नाम का हिस्सा हो।
- धारा ४(२) के अनुसार किसी भी कंपनी को ऐसे नाम से पंजीकृत नहीं किया जा सकता है, जो केंद्र सरकार की राय में अवांछनीय है। यदि कोई नाम किसी मौजूदा कंपनी के नाम से मिलता-जुलता है, या उससे मिलता-जुलता है, तो उसे केंद्र सरकार द्वारा अवांछनीय माना जा सकता है।
- कंपनी द्वारा अपनाए गए नाम को प्रतीक और नाम अधिनियम, 1950 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
- जब तक परिस्थितियाँ ऐसे शब्दों के प्रयोग को उचित न ठहराएँ, तब तक नाम को सरकार की भागीदारी या संरक्षण का संकेत नहीं देना चाहिए। इसमें सहकारी, बैंक, बैंकिंग, बीमा, निवेश शब्द शामिल नहीं होना चाहिए जब तक कि परिस्थितियाँ उचित न हों।

आवश्यकताएं

धारा 12(3) के अनुसार प्रत्येक कंपनी को

- अपने पंजीकृत कार्यालय के बाहर, और हर उस स्थान के बाहर जहां वह व्यवसाय करता है, एक विशिष्ट स्थिति में, सुपाठ्य अक्षरों में और इलाके में सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली भाषा में अपना नाम पेंट या चिपकाएं;
- क्या इसका नाम इसकी मुहर पर सुपाठ्य अक्षरों में उकेरा गया है;
- उसका नाम, उसके पंजीकृत कार्यालय का पता और कॉर्पोरेट पहचान संख्या के साथ-साथ टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, यदि कोई हो, ई-मेल और वेबसाइट के पते, अपने सभी व्यावसायिक पत्रों, पत्र पत्रों, बिलहेड्स और इसके सभी नोटिसों और अन्य अधिकारियों में मुद्रित करवाएं। प्रकाशन; इसका नाम हुंडी, वचन पत्र, विनिमय के बिलों पर छपा है।

चूक जाना

अनुपालन में कोई चूक होने पर रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कंपनी पर प्रति दिन 1000 और कंपनी के प्रत्येक अधिकारी जो डिफॉल्ट होने तक डिफॉल्ट जारी रहता है लेकिन एक लाख रुपये से अधिक नहीं है।

Situation Clause

Memorandum of Association must state the name of the State in which the registered office of the company is to be situated. The registered office clause is important for two reasons.

- Firstly, it determines the domicile of the company. This in turn establishes the jurisdiction of the High Court of the State in which the registered office is situated.
- And secondly, it is at the registered office where the company's statutory books are normally kept, and to which notices and other communication can be sent.

Registered office of a company is the place of its residence of the purposes of delivering or addressing any communications, service of any notice or process of Court of Law and for determining the question of jurisdiction in any action against the company. A company need not carry on its business at its registered office. Nor there is any bar to having a registered office in one state and carrying on business in another. But, every company must have a registered office within 30 days of its incorporation.

स्थिति खंड

पार्षद सिमानियममें उस राज्य का नाम होना चाहिए जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित होना है। पंजीकृत कार्यालय खंड दो कारणों से महत्वपूर्ण है।

- सबसे पहले, यह कंपनी के अधिवास का निर्धारण करता है। यह बदले में उस राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्थापित करता है जिसमें पंजीकृत कार्यालय स्थित है।
- और दूसरी बात, यह पंजीकृत कार्यालय में है जहां कंपनी की वैधानिक पुस्तकें सामान्य रूप से रखी जाती हैं, और जिन्हें नोटिस और अन्य संचार भेजा जा सकता है।

किसी कंपनी का पंजीकृत कार्यालय किसी भी संचार को वितरित करने या संबोधित करने, किसी नोटिस की सेवा या कोर्ट ऑफ लॉ की प्रक्रिया और कंपनी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में अधिकार क्षेत्र के प्रश्न को निर्धारित करने के उद्देश्यों के निवास का स्थान है। एक कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय में अपना व्यवसाय करने की आवश्यकता नहीं है। न ही एक राज्य में पंजीकृत कार्यालय होने और दूसरे राज्य में व्यवसाय करने पर कोई रोक है। लेकिन, प्रत्येक कंपनी के पास उसके निगमन के 30 दिनों के भीतर एक पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए।

Objects Clause –

The most important clause in the memorandum of association of a company is the object clause. It is object clause which lays down the objects of the company. A company cannot do anything beyond or outside its objects and any act done beyond them will be ultra vires and void. A company can exercise only such powers as are either expressly stated therein or as may be necessary in furtherance of its objects. According to Section 4(C) the Memorandum of Association of a company must state the objects for which the company is proposed to be incorporated and any matter considered necessary in furtherance thereof.

वस्तु खंड

किसी कंपनी के पार्षद सिमानियममें सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज ऑब्जेक्ट क्लॉज है। यह वस्तु खंड है जो कंपनी के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। एक कंपनी अपनी वस्तुओं से परे या बाहर कुछ भी नहीं कर सकती है और उनसे परे किया गया कोई भी कार्य अल्ट्रा वायर्स और शून्य होगा। एक कंपनी केवल उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो या तो उसमें स्पष्ट रूप से बताई गई हैं या जो उसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हो सकती हैं। धारा 4 (सी) के अनुसार कंपनी के पार्षद सिमानियममें उन उद्देश्यों का उल्लेख होना चाहिए जिनके लिए कंपनी को शामिल करने का प्रस्ताव है और कोई भी मामला जिसे आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक माना जाता है।

Liability Clause

Liability clause mentions the liability of members of the company. In case of a company limited by shares, Memorandum of Association must have a clause to the effect that the liability of the members is limited to the extent of the amount of the unpaid portion of the shares held by him. The Memorandum of Association a company limited by guarantee must state the amount which each

member undertakes to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. [Section 4(1)(d)]. In case of a company having a share capital [Sec. 4(1)(e)], the amount of share capital with which the company is to be registered and the division thereof into shares of a fixed amount and the number of shares with the subscribers to the memorandum agree to subscribe which shall not be less than one share and the number of shares each subscriber to the memorandum intends to take indicated opposite his name. In case of One Person Company, the name of the person who, in the event of death of the subscriber, shall become the member of the company [Sec. 4(1)(f)].

देयता खंड

देयता खंड कंपनी के सदस्यों की देयता का उल्लेख करता है । शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के मामले में, पार्षद सिमानियममें इस आशय का एक खंड होना चाहिए कि सदस्यों की देयता उसके द्वारा रखे गए शेयरों के अवैतनिक हिस्से की राशि तक सीमित है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के पार्षद सिमानियममें उस राशि का उल्लेख होना चाहिए जो प्रत्येक सदस्य कंपनी के बंद होने की स्थिति में कंपनी की संपत्ति में योगदान करने के लिए करता है। [धारा 4(1)(डी)] शेयर पूंजी रखने वाली कंपनी के मामले में [सेक। 4(1)(ई)], शेयर पूंजी की राशि जिसके साथ कंपनी को पंजीकृत किया जाना है और एक निश्चित राशि के शेयरों में उसका विभाजन और ज्ञापन के ग्राहकों के साथ शेयरों की संख्या सदस्यता के लिए सहमत है जो नहीं होगा एक शेयर से कम और मेमोरेंडम के प्रत्येक सब्सक्राइबर के शेयरों की संख्या उसके नाम के सामने दर्शाई गई है। एक व्यक्ति कंपनी के मामले में, उस व्यक्ति का नाम, जो ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में, कंपनी का सदस्य बन जाएगा [सेक। 4(1)(च)].

Capital Clause

Memorandum of Association of a limited company having share capital (i.e. company limited by shares or company limited by guarantee having share capital) must also state the amount of share capital with which the company is to be registered which is usually called authorized or nominal capital. Further, division of registered share capital into shares of a fixed amount is also required to be given in the memorandum. Each subscriber must take at least one share and write opposite his name the number of shares he takes.

पूंजी खंड

शेयर पूंजी वाली एक लिमिटेड कंपनी के पार्षद सिमानियम(अर्थात शेयरों द्वारा सीमित कंपनी या शेयर पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी) में शेयर पूंजी की राशि भी होनी चाहिए जिसके साथ कंपनी को पंजीकृत किया जाना है जिसे आमतौर पर अधिकृत या नाममात्र पूंजी कहा जाता है। इसके अलावा, पंजीकृत शेयर पूंजी का एक निश्चित राशि के शेयरों में विभाजन भी ज्ञापन में दिया जाना आवश्यक है। प्रत्येक सब्सक्राइबर को कम से कम एक शेयर लेना चाहिए और अपने नाम के सामने जितने शेयर वह लेता है उसे लिखना चाहिए।

Association Clause

This clause states that the persons subscribing their signatures at the end of the Memorandum are desirous of forming themselves into an association in pursuance of the Memorandum. Memorandum of Association must be signed by seven or more persons in the case of a public company and by two or more persons in the case of a private company. Signatures shall be attested by witnesses. There may be one witness for all signatures but one subscriber cannot be a witness to the signatures of another. Full description, address, occupation, etc. of the subscribers and witnesses must be written. In the case of a company having share capital, each subscriber is also required to take at least one share and to write opposite his name the number of shares he agrees to take. Subscribers are required

to pay for these shares after the company is incorporated. They must also sign articles of association of the company.

एसोसिएशन क्लॉज

इस खंड में कहा गया है कि ज्ञापन के अंत में अपने हस्ताक्षर की सदस्यता लेने वाले व्यक्ति ज्ञापन के अनुसरण में खुद को एक संघ बनाने के इच्छुक हैं। एक सार्वजनिक कंपनी के मामले में सात या अधिक व्यक्तियों द्वारा और एक निजी कंपनी के मामले में दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा एसोसिएशन के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। हस्ताक्षर गवाहों द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। सभी हस्ताक्षरों के लिए एक गवाह हो सकता है लेकिन एक ग्राहक दूसरे के हस्ताक्षर का गवाह नहीं हो सकता। ग्राहकों और गवाहों का पूरा विवरण, पता, पेशा आदि लिखा जाना चाहिए। शेयर पूंजी वाली कंपनी के मामले में, प्रत्येक ग्राहक को कम से कम एक शेयर लेने और अपने नाम के सामने लिखने के लिए आवश्यक है कि वह कितने शेयर लेने के लिए सहमत है। कंपनी के शामिल होने के बाद सब्सक्राइबर्स को इन शेयरों के लिए भुगतान करना होता है। उन्हें कंपनी के एसोसिएशन के लेखों पर भी हस्ताक्षर करना होगा।

Alteration of Memorandum of Association / पार्षद सिमानियममें बदलाव:

A company may alter the provisions of its memorandum by passing a special resolution and after complying with the procedure specified in the Act, (Sec. 13). एक कंपनी एक विशेष प्रस्ताव पारित करके और अधिनियम, (धारा 13) में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के बाद अपने ज्ञापन के प्रावधानों को बदल सकती है।

Alteration in the Name Clause [Sec. 13(2)]/ नाम खंड में परिवर्तन [सेक। १३(२)]

- The name of a company can be changed any time by passing a special resolution at the general meeting of the company, and getting the approval of the Central Government in writing. The change of name shall not be allowed to a company which has defaulted in filing its annual returns or financial statements or any document due for filing with the Registrar or which has defaulted in repayment of matured deposits or debentures or interest on deposits or debentures [Companies (Incorporation) Rules, 2014].
- कंपनी की आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित करके और लिखित रूप में केंद्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त करके कंपनी का नाम कभी भी बदला जा सकता है। उस कंपनी को नाम बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसने अपनी वार्षिक रिटर्न या वित्तीय विवरण या रजिस्ट्रार के पास दाखिल करने के लिए कोई दस्तावेज दाखिल करने में चूक की है या जो परिपक्व जमा या डिबेंचर या जमा या डिबेंचर पर ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक कर चुकी है [कंपनियां (निगमन) नियम, 2014]

- A change of name which merely involves the deletion or addition of the word ‘private’ on the conversion of a public company into private of vice versa doesn’t require the approval of Central Government.
- नाम में परिवर्तन जिसमें किसी सार्वजनिक कंपनी के निजी कंपनी के निजी में रूपांतरण पर केवल 'निजी' शब्द को हटाना या जोड़ना शामिल है, इसके लिए केंद्र सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

- If, through inadvertence or otherwise, a company is registered by a name which, in the opinion of the Central Government, is identical with or too nearly resembles the name by which a company in existence had been previously registered, it may direct the company to change its name and the company shall change its name or new name, as the case may be, within a period of 3 months from the issue of such direction, after adopting an ordinary resolution for the purpose; Where a company changes its name or obtains a new name, it shall

within a period of 15 days from the date of such change, give notice of the change to the Registrar along with the order of the Central Government, who shall carry out necessary changes in the certificate of incorporation and the memorandum. It is to be noted that change of name will neither affect any rights or obligation of the company nor render any legal proceedings by or against the company defective in any way.

- यदि, अनजाने में या अन्यथा, कोई कंपनी किसी ऐसे नाम से पंजीकृत है, जो केंद्र सरकार की राय में, उस नाम से मिलती-जुलती है या बहुत करीब है, जिसके द्वारा अस्तित्व में एक कंपनी पहले से पंजीकृत थी, तो वह कंपनी को निर्देश दे सकती है कि अपना नाम बदलें और कंपनी अपना नाम या नया नाम, जैसा भी मामला हो, इस तरह के निर्देश के जारी होने से 3 महीने की अवधि के भीतर, इस उद्देश्य के लिए एक सामान्य संकल्प को अपनाने के बाद बदल देगी; जहां कोई कंपनी अपना नाम बदलती है या नया नाम प्राप्त करती है, वह इस तरह के बदलाव की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर केंद्र सरकार के आदेश के साथ रजिस्ट्रार को बदलाव की सूचना देगी, जो आवश्यक बदलाव करेगा। निगमन प्रमाण पत्र और ज्ञापन में। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नाम बदलने से न तो कंपनी के किसी अधिकार या दायित्व पर असर पड़ेगा और न ही कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ किसी भी तरह से कोई कानूनी कार्यवाही दोषपूर्ण होगी।

Alteration in the Situation Clause [Sec. 13]/ स्थिति खंड में परिवर्तन [Sec13]

- Shifting of the Registered Office outside the local limits of any city, town or village where such office is situated requires passing of special resolution by the company and notice of the change shall be given to the Registrar within 15 days of the change, who shall record the same.
- किसी भी शहर, कस्बे या गाँव की स्थानीय सीमा के बाहर पंजीकृत कार्यालय को स्थानांतरित करने के लिए कंपनी द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता होती है और परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर दी जाएगी, जो रिकॉर्ड करेगा वही।
- Shifting of the registered office within the same State from the jurisdiction of one Registrar of Companies to the jurisdiction of another Registrar of Companies requires passing of special resolution by the company and confirmation by the Regional Director on an application made by the company in this regard.The shifting of registered office shall not be allowed if any inquiry, inspection or investigation has been initiated against the company or any prosecution is pending against the company under the Act.
- एक ही राज्य के भीतर पंजीकृत कार्यालय को एक कंपनी रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र से दूसरे कंपनी रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए कंपनी द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करना और इस संबंध में कंपनी द्वारा किए गए आवेदन पर क्षेत्रीय निदेशक द्वारा पुष्टि की आवश्यकता होती है। यदि कंपनी के खिलाफ कोई जांच, निरीक्षण या जांच शुरू की गई है या अधिनियम के तहत कंपनी के खिलाफ कोई मुकदमा लंबित है तो पंजीकृत कार्यालय को स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- Shifting of Registered Office from one State or Union territory to another State. The alteration of the memorandum relating to the place of the registered office from one State to another requires [Sec. 13(2)]:
  - Passing of the special resolution, and
  - Approval of the Central Government
- एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य में पंजीकृत कार्यालय का स्थानांतरण। एक राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकृत कार्यालय के स्थान से संबंधित ज्ञापन के परिवर्तन की आवश्यकता है
  - विशेष प्रस्ताव पारित करना, और
  - केंद्र सरकार की मंजूरी

Following are the prescribed rules/ निम्नलिखित निर्धारित नियम हैं::

- An application for the purpose of seeking approval for alteration of memorandum with regard to the change of place of the registered office from one State or Union territory to another, shall be filed with the Central Government along with the fee and shall be accompanied by the following documents:
    - a copy of the memorandum and articles of association;
    - a copy of the special resolution sanctioning the alteration by the members of the company;
    - the list of creditors and debenture holders giving details of their addresses and amounts dues;
    - an affidavit from the directors of the company that no employee shall be retrenched as a consequence of shifting of the registered office from one state to another state;
    - a copy of the notice served on the Registrar, Chief Secretary of the State Government or Union territory where the registered office is situated at the time of filing the application, and to the SEBI in case of listed companies.
- एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पंजीकृत कार्यालय के स्थान के परिवर्तन के संबंध में ज्ञापन के परिवर्तन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक आवेदन शुल्क के साथ केंद्र सरकार के पास दायर किया जाएगा और निम्नलिखित के साथ होगा दस्तावेज़:
    - ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों की एक प्रति;
    - कंपनी के सदस्यों द्वारा परिवर्तन को मंजूरी देने वाले विशेष संकल्प की एक प्रति;
    - लेनदारों और डिबेंचर धारकों की सूची उनके पते और बकाया राशि का विवरण देते हुए;
    - कंपनी के निदेशकों से एक हलफनामा कि पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के परिणामस्वरूप किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी;
    - नोटिस की एक प्रति रजिस्ट्रार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव, जहां पंजीकृत कार्यालय आवेदन दाखिल करने के समय स्थित है, और सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में सेबी को दी गई सूचना की एक प्रति।

- The company shall at least 14 days before the date of hearing—
- advertise the application in a vernacular newspaper and an English newspaper circulating in that district;
- serve individual notice(s) on each debenture holder and creditor of the company; and
- serve a notice together with the copy of the application to the Registrar and to the Securities and Exchange Board of India.
- कंपनी सुनवाई की तारीख से कम से कम 14 दिन पहले-
  एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र और उस जिले में प्रसारित एक अंग्रेजी समाचार पत्र में आवेदन का विज्ञापन करें;
- कंपनी के प्रत्येक डिबेंचर धारक और लेनदार पर व्यक्तिगत नोटिस देना; तथा
- आवेदन की प्रति के साथ रजिस्ट्रार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को एक नोटिस दें।
- Before confirming the alteration, the Central Government shall ensure that, with respect to every creditor and debenture holder who, have objections to the proposed shifting either his consent to the alteration has been obtained or his debt or claim has been discharged or has determined, or has been secured to the satisfaction of the Central Government.
- परिवर्तन की पुष्टि करने से पहले, केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि, प्रत्येक लेनदार और डिबेंचर धारक के संबंध में, जिसे प्रस्तावित स्थानांतरण पर आपत्ति है, या तो परिवर्तन के लिए उसकी सहमति प्राप्त कर ली गई है या उसका ऋण या दावा समाप्त कर दिया गया है या निर्धारित किया गया है, या केंद्र सरकार की संतुष्टि के लिए सुरक्षित किया गया है।

- The Central Government may make an order confirming the alteration on such terms and conditions, if any, as it thinks fit, and may make such order as to costs as it thinks proper: Provided that the shifting of registered office shall not be allowed if any inquiry, inspection or investigation has been initiated against the company or any prosecution is pending against the company under the Act. A certified copy of the order of the Central Government approving the alteration shall be filed by the company with the Registrar of each of the States within such time and in such manner as may be prescribed, who shall register the same, and the Registrar of the State where the registered office is being shifted to, shall issue a fresh certificate of incorporation indicating the alteration.
- केंद्र सरकार ऐसे नियमों और शर्तों में परिवर्तन की पुष्टि करने के लिए एक आदेश दे सकती है, यदि कोई हो, जैसा कि वह उचित समझे, और लागत के रूप में ऐसा आदेश दे सकती है जैसा कि वह उचित समझे: बशर्ते कि पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि कोई हो कंपनी के खिलाफ जांच, निरीक्षण या जांच शुरू कर दी गई है या अधिनियम के तहत कंपनी के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है। परिवर्तन को मंजूरी देने वाले केंद्र सरकार के आदेश की एक प्रमाणित प्रति कंपनी द्वारा प्रत्येक राज्य के रजिस्ट्रार के पास ऐसे समय के भीतर और इस तरह से निर्धारित की जा सकती है, जो इसे पंजीकृत करेगा, और रजिस्ट्रार के पास जिस राज्य में पंजीकृत कार्यालय को स्थानांतरित किया जा रहा है, वह परिवर्तन का संकेत देते हुए एक नया निगमन प्रमाणपत्र जारी करेगा।

Alteration in the Liability Clause/ देयता खंड में परिवर्तन:

Ordinarily it cannot be altered so as to make the liability of the members unlimited. However, with the authority of the Articles of Association, a company may pass special resolution altering liability clause of the Memorandum of Association so as to make the liability of directors or of any one director or manager unlimited. But, in such a case any person holding office as director or manager before such alteration shall not be liable until the expiry of his present term or unless he has accorded his consent to his liability becoming unlimited. Alterations, which are likely to impose additional liability on a member or which are likely to compel a member to buy additional shares of the company after the date on which he became a member, not be made except with the consent of the member concerned in writing. However, in case a company happens to be a club or any other association and the alteration requires the member to pay recurring or periodical subscriptions or charges at a higher rate, the member will be bound by the alteration although he does not agree in writing to be bound by the alteration.

साधारणतया इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे कि सदस्यों का दायित्व असीमित हो जाए। हालांकि, एसोसिएशन के लेखों के अधिकार के साथ, एक कंपनी पार्षद सिमानियमके दायित्व खंड को बदलने के लिए विशेष संकल्प पारित कर सकती है ताकि निदेशकों या किसी एक निदेशक या प्रबंधक की देयता असीमित हो सके। लेकिन, ऐसे मामले में इस तरह के परिवर्तन से पहले निदेशक या प्रबंधक के रूप में पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति तक उत्तरदायी नहीं होगा या जब तक कि उसने अपनी देयता असीमित होने के लिए अपनी सहमति नहीं दी है। परिवर्तन, जो किसी सदस्य पर अतिरिक्त दायित्व थोपने की संभावना है या जो सदस्य बनने की तारीख के बाद कंपनी के अतिरिक्त शेयर खरीदने के लिए किसी सदस्य को मजबूर करने की संभावना है, लिखित रूप में संबंधित सदस्य की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा।

Alteration of the Capital Clause/ पूंजी खंड का परिवर्तन:

Alterations in the capital clause of the Memorandum of Association may be of the following type:

पार्षद सिमानियमके कैपिटल क्लॉज में बदलाव निम्न प्रकार के हो सकते हैं:

- Alteration of the share capital/ शेयर पूंजी का परिवर्तन
- Reduction of share capital/ शेयर पूंजी में कमी

- Variation of the rights of shareholders/ शेयरधारकों के अधिकारों में बदलाव

Alteration of the Share Capital / शेयर पूंजी का परिवर्तन

Following kinds of alteration in share capital may be made by a limited company having a share capital, if authorised by its articles by passing of ordinary resolution at the general meeting (Section 61): शेयर पूंजी में निम्नलिखित प्रकार के परिवर्तन शेयर पूंजी वाली एक सीमित कंपनी द्वारा किए जा सकते हैं, यदि उसके लेखों द्वारा सामान्य बैठक में साधारण प्रस्ताव पारित करके अधिकृत किया जाता है (धारा ६१):

- increase its authorized share capital; इसकी अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि;
- consolidate or sub-divide its share capital into shares of larger or smaller denominations; अपनी शेयर पूंजी को बड़े या छोटे मूल्यवर्ग के शेयरों में समेकित या उप-विभाजित करना;
- convert its fully paid–up shares into stock, and re-convert that stock into fully paid–up shares of any denomination; इसकी पूरी तरह से भुगतान कन्वर्ट - शेयर में शेयर, और फिर से परिवर्तित कि पूरी तरह से भुगतान में शेयर - किसी भी संप्रदाय के शेयरों;
- cancel shares which have not been taken or agreed to be taken by any person, and diminish the amount of its share capital by the amount of the shares. उन शेयरों को रद्द करें जो किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिए गए हैं या लेने के लिए सहमत नहीं हैं, और अपनी शेयर पूंजी की मात्रा को शेयरों की राशि से कम कर दें

Reduction of the Share Capital [Sec. 66]/ शेयर पूंजी में कमी:

To provide protection to interests of the investors especially creditors of companies, reduction of share capital is permissible with strict stipulation of the law. A company limited by shares or a company limited by guarantee and having a share capital, may, reduce its share capital by adopting any of the following methods of reduction: निवेशकों विशेषकर कंपनियों के लेनदारों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कानून की सख्त शर्तों के साथ शेयर पूंजी में कमी की अनुमति है। शेयरों द्वारा सीमित कंपनी या गारंटी द्वारा सीमित और शेयर पूंजी रखने वाली कंपनी, कमी के निम्नलिखित तरीकों में से कोई भी अपनाकर अपनी शेयर पूंजी को कम कर सकती है :

- extinguish or reduce the liability on any of its shares in respect of share capital not paid-up; चुकता नहीं की गई शेयर पूंजी के संबंध में इसके किसी शेयर पर देयता को समाप्त करना या कम करना;
- either with or without extinguishing or reducing liability on any of its shares, cancel any paid-up share capital which is lost, or is unrepresented by available assets; or या तो इसके किसी भी शेयर पर देयता को समाप्त या कम किए बिना, किसी भी चुकता शेयर पूंजी को रद्द कर दें जो खो गई है, या उपलब्ध संपत्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है; या
- either with or without extinguishing or reducing liability on any of its shares, pay off any paid-up share capital which is in excess of the wants of the company;
  या तो इसके किसी शेयर पर देयता को समाप्त या कम किए बिना, किसी भी चुकता शेयर पूंजी का भुगतान करें जो कंपनी की जरूरतों से अधिक है;

Procedure of Reduction/ कटौती की प्रक्रिया

- The articles of association of the company must authorize the company to reduce its share capital. (In case the articles does not authorize the company to do so, articles of the company has to be altered to authorize the company for the same). कंपनी के एसोसिएशन के लेखों को कंपनी को अपनी शेयर पूंजी को कम करने के लिए अधिकृत करना चाहिए। (यदि लेख कंपनी को ऐसा

करने के लिए अधिकृत नहीं करते हैं, तो कंपनी को अधिकृत करने के लिए कंपनी के लेखों को बदलना होगा)।

- The company must pass a special resolution referred to as "a resolution for reducing share capital". कंपनी को "शेयर पूंजी को कम करने के लिए एक संकल्प" के रूप में संदर्भित एक विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा।
- The company has to apply, by petition to the Tribunal for an order confirming the reduction. कंपनी को कटौती की पुष्टि करने वाले आदेश के लिए ट्रिब्यूनल में याचिका दायर करनी होगी:

Variation in the Rights of the Shareholders/ शेयरधारकों के अधिकारों में भिन्नता:

- Where a share capital of the company is divided into different classes of shares, the rights attached to the shares of any class may be varied with the consent in the writing of the holders of not less than three-fourths of the issued shares of that class or by means of a special resolution passed at a separate meeting of the holders of the issued shares of that class: जहां कंपनी की शेयर पूंजी को विभिन्न वर्गों के शेयरों में विभाजित किया जाता है, किसी भी वर्ग के शेयरों से जुड़े अधिकारों को उस वर्ग के जारी किए गए शेयरों के कम से कम तीन-चौथाई के धारकों की लिखित सहमति से बदला जा सकता है। या उस वर्ग के जारी किए गए शेयरों के धारकों की एक अलग बैठक में पारित एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से:
  - If provision with respect to such variation is contained in the memorandum or articles of the company; or यदि इस तरह के बदलाव के संबंध में प्रावधान कंपनी के ज्ञापन या लेखों में निहित है; या
  - In the absence of any such provision in the memorandum or articles, if such variation is not prohibited by the terms of issue of the shares of that class: Provided that if variation by one class of shareholders affects the rights of any other class of shareholders, the consent of three-fourths of such other class of shareholders shall also be obtained and the provisions of this section shall apply to such variation. ज्ञापन या लेखों में इस तरह के किसी प्रावधान के अभाव में, यदि उस वर्ग के शेयरों के जारी करने की शर्तों द्वारा इस तरह की भिन्नता निषिद्ध नहीं है:
  - बशर्ते कि यदि शेयरधारकों के एक वर्ग द्वारा भिन्नता शेयरधारकों के किसी अन्य वर्ग के अधिकारों को प्रभावित करती है, ऐसे अन्य वर्ग के शेयरधारकों की तीन-चौथाई सहमति भी प्राप्त की जाएगी और इस धारा के प्रावधान इस तरह के बदलाव पर लागू होंगे।
- Where the holders of not less than 10% of the issue shares of a class did not consent to such variation or vote in favour of the special resolution for the variation, they may apply to the Tribunal to have the variation cancelled. In that case the variation shall not have effect unless and until it is confirmed by the Tribunal. जहां किसी वर्ग के निर्गम शेयरों के कम से कम 10% के धारकों ने इस तरह के बदलाव के लिए सहमति नहीं दी या भिन्नता के लिए विशेष संकल्प के पक्ष में वोट नहीं दिया, वे भिन्नता को रद्द करने के लिए ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं। उस मामले में भिन्नता तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि ट्रिब्यूनल द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती है।